चुनाव आयोग ने खुद ही कराई अपनी किरकिरी

हमारे देश में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और उसके फैसलों पर विवादों का सिलसिला न जाने कब से चला आ रहा है। केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के इशारों पर काम करने के आरोप भी चुनाव आयोग पर लगते रहे हैं परंतु मद्रास हाईकोर्ट ने देश के पांच राज्यों में संपन्न कराए गए विधानसभा चुनावों के संदर्भ में चुनाव आयोग के विरुद्ध जो तीखी टिप्पणियां की हैं वे अभूतपूर्व हैं। इन टिप्पणियों ने चुनाव आयोग को बचाव की मुद्रा में ला दिया है। देश की किसी अदालत ने अतीत में शायद ही कभी ऐसी तल्ख़ टिप्पणियां चुनाव आयोग के बारे में की

चुनाव आयोग से मद्रास हाईकोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर है कि पांच राज्यों में विधानसभा की चुनावों की प्रक्रिया के दौरान उसने कोरोना की दूसरी लहर के खतरों की अनदेखी कर दी। मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग के अफसरों के विरुद्ध हत्या के मामले दर्ज किए जाने चाहिए। कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस बात के लिए भी फटकार लगाई है कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों की चुनावी रैलियों में जुटने वाली भारी भीड़ पर अंकुश लगाने में चुनाव आयोग असफल रहा । मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग निर्देश दिया है कि वह 30 अप्रैल तक कोर्ट को बताए कि उसने दो मई को होने वाली मतगणना के दौरान कोविड गाइड लाइंस के पालन हेतु क्या इंतजाम किए हैं। कोर्ट ने आयोग से साफ कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह मतगणना रुकवाने का आदेश भी जारी कर सकता है। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को यह निर्देश तमिलनाडु के परिवहन मंत्री एम आर विजय भास्कर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसके निर्वाचन क्षेत्र में 77 उम्मीदवार चुनाव लड रहे हैं। मतगणना के दौरान सभी उम्मीदवारों के एजेंट को चुनाव आयोग कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार मतगणना केन्द्र में स्थान उपलब्ध नहीं करा सकता । इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कोर्ट से कहा था कि वह मतगणना के लिए सभी आवश्यक इंतजाम कर रहा है। मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद चुनाव आयोग तत्काल हरकत में आया और उसने 2 मई को होने वाली मतगणना में विजयी घोषित उम्मीदवारों को जीत का जश्न मनाने से रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने विजयोल्लास में आयोजित किए जाने वाले जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया है।चुनाव आयोग ने देश के पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु ,केरल,असम की विधानसभाओं के चुनाव कार्यक्रम की जिस दिन घोषणा की थी उसी दिन से वह आलोचनाओं से घिरा हुआ है। चुनाव आयोग द्वारा पांच राज्यों की विधानसभाओं का जो चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया उसके अनुसार पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी चार राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हेतु मतदान का आखिरी चरण भी 6 अप्रैल को संपन्न हो चुका था परंतु पश्चिम बंगाल में चूंकि उसने आठ चरणों में मतदान संपन्न कराने का फैसला कर लिया था इसलिए राज्य में 29अप्रैल तक मतदान की प्रक्रिया जारी रही। विगत एक पखवाड़े में जब देश के अनेक राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर भयावह रूप ले चुकी थी तब भी चुनाव आयोग राज्य में मतदान प्रक्रिया को 8 चरणों में ही संपन्न कराने के फैसले पर अड़ा रहा। उसने इस कड़वी हकीकत को नजरंदाज कर दिया कि ज्यादा लंबे समय तक चुनावी रैलियां होने से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से पश्चिम बंगाल के भी प्रभावित होने की आशंका बनी रहेगी। चुनाव आयोग ने भले ही इस आशंका की अनदेखी कर दी परंतु रैलियों में जुटने वाली भीड़ ने इस आशंका को सच साबित कर दिया। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जो फटकार लगाई है उसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार है। अगर उसने देश में कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए पांच राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कार्यक्रम को इतना लंबा न खींचा होता तो मद्रास हाईकोर्ट की बेहद सख्त टिप्पणियों से शायद बच सकता था।विगत दिनों जब देश के अनेक राज्य कोरोना की पहली लहर से भी अधिक भयावह दूसरी लहर की चपेट में आ गए तो यह अनुमान लगाया जा रहा था कि चुनाव आयोग राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों की चुनावी रैलियों में जुटने वाली भारी भीड़ के कारण राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी की आशंका को देखते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा के शेष तीन चरणों के मतदान को एक ही चरण में संपन्न कराने का फैसला कर सकता है परंतु चुनाव आयोग ने राज्य में सभी राजनीतिक दलों की चुनावी रैलियों के आयोजन के लिए संध्या 7बजे तक की समय सीमा तय करने के साथ ही कुछ पाबंदियां तो लगा दी परंतु बाकी तीन चरणों की मतदान प्रक्रिया को एक ही चरण में संपन्न कराने के लिए वह तैयार नहीं हुआ। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मतदान के शेष तीन चरणों की प्रक्रिया को एक ही बार में संपन्न कराने की मांग की थी। यद्यपि चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर विचार हेतु एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी परन्तु उस बैठक में पश्चिम बंगाल में मतदान की प्रक्रिया जल्द से जल्द समेटने पर कोई फैसला नहीं किया गया। यहां यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती थी कि राज्य में मतदान कार्य क्रम में कोई परिवर्तन न किया जाए क्योंकि अपनी चुनावी रैलियों में जुटने वाली भारी भीड़ ने उसके अंदर यह भरोसा जगा दिया है कि राज्य विधानसभा के इन चुनावों में प्रचंड बहुमत हासिल कर अब इतिहास रचने वक्त आ चुका है और अगर तीन चरणों का मतदान एक ही चरण में संपन्न कराया गया तो उसकी चुनावी संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। चुनाव आयोग ने जब पश्चिम बंगाल में शेष तीन चरणों की मतदान प्रक्रिया एक चरण में समेटने से इंकार कर दिया तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी कि वे अब केवल 26 अप्रैल को कोलकाता में अपनी पार्टी की एक प्रतीकात्मक चुनावी रैली संबोधित करेंगी। उसके पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी पश्चिम बंगाल में अपनी बाकी बची सभी रैलियां रद्द करने की घोषणा कर चुके थे। राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने जब अपनी अपनी पार्टियों की बाकी बची चुनावी रैलियों को रद्द करने की घोषणा की तो भाजपा को असमंजस की स्थिति का सामना करने के लिए विवश होना पड़ा। इसके पश्चात भाजपा ने भी यह घोषणा की कि अब उसकी रैलियों में पांच सौ से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। उधर जब देश के कई ई राज्यों में आक्सीजन की कमी ने भयावह रूप ले लिया तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल में होने वाली रैलियों को रद्द करके दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक के आयोजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के अलावा भी कई उच्च स्तरीय बैठकों के माध्यम से कोरोना संकट की विकरालता से निपटने के प्रभावी उपायों पर सार्थक चर्चा की ।

इसमें दो राय नहीं हो सकती कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने राज्य में अपनी पार्टियों की बाकी चुनावी रैलियों को रद्द करने की घोषणा करके वास्तव में भाजपा को इस बात के लिए विवश कर दिया कि वह भी राज्य में अपनी बाकी चुनावी रैलियों को रद्द करने का फैसला करें। राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने जो भी फैसला किया उसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं परंतु अगर यह पहल भाजपा की ओर से की जाती तो राज्य में भाजपा की स्थिति और मजबूत हो सकती थी। वैसे भी अगर उसे यह भरोसा हो चुका था कि 2 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव परिणाम उसके लिए सत्तारोहण का संदेश लेकर आ रहे हैं तो पार्टी की शेष चुनावी रैलियों के रद्द करने से उसकी जीत की संभावनाओं के प्रभावित होने की कोई आशंका उसे नहीं होना चाहिए थी। अगर भाजपा यह फैसला राहुल गांधी और ममता बनर्जी से पहले करती तो वह पश्चिम बंगाल की जनता को यह संदेश देने की स्थिति में होती कि उसकी पहली प्राथमिकता राज्य की जनता को कोरोनावायरस की दूसरी लहर की चपेट में आने से बचाना है। चुनाव तो आते जाते रहते हैं। आज स्थिति यह है कि कोलकाता में कोरोनावायरस के संक्रमण की दर 45 प्रतिशत तक हो जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है । राज्य के दूसरे शहरों में स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। राज्य में चुनावी रैलियों के आयोजन में किसी राजनीतिक दल ने कोई कसर नहीं छोड़ी परंतु आज राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार भाजपा को जरूर ठहराया जा रहा है क्योंकि उसकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही थी। भाजपा आज इस असमंजस में भी है कि आगामी 2 मई को होने वाली मतगणना में अगर उसकी प्रचंड बहुमत से विजय होती है तब भी ढोल धमाके के साथ अपनी ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाना उसके लिए संभव नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में पहली बार सत्ता में आने का सुनहरा स्वप्न साकार करने में अगर वह सफल हो जाती है तो उसकी सबसे पहली प्राथमिकता राज्य को कोरोना की दूसरी लहर की विभीषिका से बचाना होगा और यह चुनौती उसके लिए आसान नहीं होगी।

– कृष्ण मोहन झा
(ये लेखक के अपने विचार है)

वैक्सीन से ज्यादा प्रभावी प्यार की दवा

ऐसे समय में जब कोविड-19 से लड़ाई में टीकाकरण ने कुछ आस जगानी शुरू की ही थी कि वायरस एक बार फिर आक्रामक होकर लौटा है, जिससे लोगों के अंतस में डर, घबराहट और अर्थहीनता की भावना भरने लगी है। हर नयी सुबह कोविड के शिकार बने लोगों की मनहूसियत भरी खबरों से शुरू होती है। हमें बार-बार देखना पड़ रहा है कि फलां जगह अफरातफरी मची हुई है, कहीं आईसीयू में बिस्तरों एवं वेंटीलेटर की कमी है तो कहीं श्मशान घाट में मृत देह जलाने को जगह कम पड़ गई है। यह पढ़-देखकर चेतना जख्मी और कुंद होने लगती है। हमारे लिए अब न तो सूर्योदय का नजारा, न ही फूलों का खिलना, न ही पछियों की चहचहाहट के मायने हैं। तो क्या यह प्रार्थनाओं, शुकाने और जीवनदायिनी तरंग का समापन है या क्या यह हमें चारों ओर से घेर चुका हताशा रूपी अंधियारा है और मानस में एक ही सवाल तारी है: क्या वैक्सीन हमें बचा पाएगी

हो सकता है आधुनिक जैव-औषधि विज्ञान एक कारगर दवा के जरिए हमें वायरस के प्रकोप से बचा ले, इसलिए टीकाकरण की प्रक्रिया का अपना बहुत महत्व है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि केवल वैक्सीन हमें वह सब वापस नहीं दे पाएगी, जो हम खो चुके हैं। यानी मनोवैज्ञानिक झंझावात और वजूद पर बनी अनिश्चितता की वजह से बिसर चुकी एक अर्थपूर्ण जिंदगानी (न कि वह मास्क एवं सैनिटाइज़र के आसरे बची हो)। यही समय है कि हम महसूस करें कि प्यार, जो कि इंसान की परम तलाश होती है, वह वैक्सीन से कम महत्वपूर्ण नहीं है। और यह प्यार क्या है-अंधकारमय संसार में जीवन उर्जा का स्रोत

खैर, आधुनिकता के ग्रंथ में, जिसमें प्रगति हेतु दुनिया जीत लेने और धरती पर मानव की श्रेष्ठता कायम करने की अंतहीन चाहत, असीमित तकनीकी-आर्थिक प्रगतिवाद एवं उपभोक्तावाद पर तो बहुत जोर है, परंतु मृत्यु की सच्चाई को लेकर इनसान असहज है। तथापि त्रस्य यह है कि मौत तो खुद जन्म का एक अभिन्न हिस्सा है और इस जागृति से जीने का अर्थ है शांतमय मृत्यु को प्राप्त होना, एक अर्थपूर्ण मौत भरपूर जिंदगी जीने वाले और प्यार करने वालों को नसीब होती है। लेकिन, जैसा कि जाहिर है, आधुनिकता मौत के ख्याल से ही दूर भागती है और तमाम तकनीक-पैसे के बावजूद हम नाना प्रकार के भय में जीते हैं। कोरोना वायरस ने एक बार फिर दिखा दिया है कि हम किस कदर डर से भरे हुए हैं। इसलिए हमारे मशीनी तर्कों और लोगों को मनोविज्ञान एवं आध्यात्मिकता के मिश्रण वाली घुट्टी पिलाने वाले तथाकथित 'जीवन सिखाऊ' गुरुओं की बढ़ती संख्या के बावजूद वे अंदर से टूटे हुए हैं। एक आधुनिक युगीन इनसान होने का दम भरने वाले हम उतने भी ताकतवर नहीं हैं, जितना खुद को मान बैठे हैं।

जीवन की लय में छिपी मृत्यु को पहचानने वाले और इस हकीकत को आत्मसात करने वाले व्यक्ति के लिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि वह कहीं अंदर आत्मघात की प्रवृत्ति पाले हुए है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मैं या आप उन वैज्ञानिकों-अनुसंधानकर्ताओं-चिकित्सकों के शुक्रगुजार नहीं हैं, जिनके यत्नों से कोरोना वैक्सीन बन पाई है। अवश्य ही इसका तात्पर्य है भविष्य को स्वीकारने की क्षमता होना-यहां तक कि वैक्सीन उपरांत काल में जहां हरचंद अनिश्चितता बनी रहेगी, ऐसे माहौल में जीवित बने रहने के लिए हर वक्त डर में रहना ठीक नहीं है। वास्तव में यथार्थ वह बोध है, जिस घड़ी आप और मैं जीवित हैं। तो इन पलों को शुक्राना व्यक्त करते हुए और पूर्ण संचेतना से जीएं। यदि हम मौजूदा पलों की जीवंतता को खो बैठे तो किसी भी वैक्सीन की माकूल खुराकें भी हमारे अंदर भयजनित सोच से बनी मनोवैज्ञानिक व्याधता को नहीं बदल पाएंगी। केवल संचेतना से ही हम अपने अंदर जुड़ाव की भावना पैदा कर सकते हैं। गहराई एवं शिद्दत से जीने के लिए पछियों की चहचहाहट सुनें, सूर्योदय की गर्माहट को महसूस करें और बच्चे की खिलखिलाहट का आनंद लें। वास्तव में विभोर कर देने वाले इन पलों को आत्मसात करने वाला इनसान अहंकारवश पैदा हुई अलगाव की दीवारें गिरा देता है, वह तितली की मानिंद स्वच्छंद उड़ता है, खुद सूरज की किरण, समुद्र की लहर सरीखा बन जाता है, दूसरे शब्दों में कहें तो इनसान अपने आप में ब्रह्माण्ड बन जाता है। और इस संगम पर पहुंचकर तमाम भय खत्म हो जाते हैं। इसकी बजाय उपजता है तो वह है भरपूर प्यार। कोरोना वायरस ने जिस तरह सब कुछ उल्टा-पुल्टा कर दिया है, उससे विभिन्न किस्म के भय बन सकते हैं। एक तो अकेले पड़ने का डर है, जो सामाजिक दूरी की वजह से और ज्यादा गहरा गया है, फिर भय बना है प्रियजनों की गर्माहट भरी छुअन खो जाने से, फिर एक डर है संक्रमित होने पर अछूत बनने का और एक अन्य है, किसी आईसीयू में एकांतवास झेलने का। कोरोना वायरस ने विद्रूप तरीके से हमें सिखा दिया है कि दर्प-पूर्ण गर्व करना एक छलावा है, जिंदगी में प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं है-वह जो किसी प्रियजन की गर्माहट भरी छुअन में महसूस होता है, वह जो चंगा करने वाला है या विस्मृत न होने वाले सूर्यास्त के नजारे जैसा, जो हर कोई अपने प्रियतम के साथ निहारना पसंद करता है। यह प्यार वह परम दवा है, ऐसी जो किसी भी वैक्सीन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। कितना निर्मम संसार है, जिसे हम रच बैठे हैं! जहां अहंकार की भावना, उन्मादी उपभोक्तावाद और तकनीक-विज्ञान के घमंड ने लोगों के बीच आपसी दूरी की ऊंची-ऊंची दीवारें खड़ी कर दी हैं, जिन्होंने जिंदगी को मृत्यु से, अंत को अनंत से, शरीर को आत्मा से, भाव को कविता से और विज्ञान को जीवन-मरण के सुरचिपूर्ण संबंध से जुदा कर डाला है। 'सामान्य' परिस्थितियों में हम 'कमाई करने' की आड़ में इस तरह के आध्यात्मिक विचारों को अपने अंदर जगाने से बचते रहते हैं और आमोद-प्रमोद में उलझे रहते हैं। अब जबकि नागवार कोविड-19 ने इस सामान्य काल को उल्टा-पुल्टा कर दिया है तो हमें इस घाटे का भान हुआ है। चाहे यह वैक्सीन की प्रभावशीलता को लेकर बना संशय हो या अवसाद से निजात पाने को रासायनिक गोलियों का सहारा लेना। लगता है जिंदगी ने अपनी सुजनशील योग्यता खो दी है। यह अपने वजूद को बचाने की ऐसी बड़ी त्रासदी है, जिसमें महामारी ने हमें फंसा दिया है।

तो क्या हम आध्यात्मिक रूपांतर की प्रक्रिया अपनाकर खुद को भयमुक्त करने को तैयार हैं।

– अविजीत पाठक
(ये लेखक के अपने विचार है)

खुद ही खींचनी होगी हमें लक्ष्मण रेखा

संविधान में प्रदत्त बोलने की आजादी के अधिकार का दुरुपयोग लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी गंभीरता का अनुमान पिछले सप्ताह ही प्रधान न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुये न्यायमूर्ति एसए बोबडे के इस कथन से भी लगाया जा सकता है कि मौजूदा वक्त में बोलने की आजादी के अधिकार का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। न्यायमूर्ति बोबडे के कथन का सार यही था कि इसमें सोशल मीडिया बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है।

एक ओर सोशल मीडिया पर न्यायपालिका और न्यायाधीशों तथा न्यायालय की व्यवस्थाओं पर टीका-टिप्पणी करते हुये सारी मर्यादायें लांघी जा रही हैं तो दूसरी ओर हमारे राजनीतिक दलों के नेतागण भी बोलने के अधिकार का दुरुपयोग करने में पीछे नहीं हैं।

पूर्व प्रधान न्यायाधीश का विचार है कि सोशल मीडिया के भी प्रिंट मीडिया की तरह की मानक होने चाहिए। प्रिंट मीडिया की तरह ही सोशल मीडिया पर भी न्यायाधीशों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां नहीं की जा सकती।

सूचना क्रांति के दौर में लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्म पर न्यायपालिका और न्यायाधीशों के बारे में तरह-तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी हो रही है, जो काफी आहत करने वाली है। न्यायिक आदेश और फैसलों के साथ ही संबंधित न्यायाधीशों के बारे में सोशल मीडिया पर अमर्यादित भाषा की भरमार देखी जा सकती है।

यह सही है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) में नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार प्राप्त है लेकिन यह अधिकार निर्बाध नहीं है। इस अधिकार को आवश्यकता पर संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत नियंत्रित किया जा सकता है।

न्यायपालिका ने कभी भी अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने की हिमायत नहीं की लेकिन पूर्व प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे के कथन से पता चलता है कि संविधान में प्रदत्त इस अधिकार के लगातार हो रहे दुरुपयोग से न्यायपालिका कितनी चिंतित है। इस संदर्भ में हाल ही कोरोना वायरस महामारी के दौरान आक्सीजन और अस्पतालों में बिस्तरों के संकट को लेकर विभिन्न उच्च न्यायालयों में मामले लंबित होने के बीच ही शीर्ष अदालत द्वारा इसका स्वत- संज्ञान लेकर केन्द्र से जवाब मांगे जाने पर चुनौदा वरिष्ठ अधिवक्ताओं की तीखी टिप्पणियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

सवाल है कि अगर विधिवेत्ता भी न्यायालय के आदेशों को पढ़े बगैर या वस्तुस्थिति की जानकारी के बगैर अपनी धारणा के आधार पर न्यायपालिका की भूमिका पर सार्वजनिक टिप्पणियां करने लगें तो बोलने के अधिकार के दुरुपयोग पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है।

पूर्व प्रधान न्यायाधीश के कथन के बीच ही प्रेस और अभिव्यक्ति की आजादी की समर्थक संस्था एडिटर्स गिल्ड के एक पूर्व अध्यक्ष आलोक मेहता ने संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी के कुछ अधिकारों में अस्थाई रूप से कटौती करने का सुझाव देकर सबको चौंका दिया।

न्यायपालिका किसी भी स्थिति में अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकारों में किसी प्रकार की कटौती के विचार से असहमति व्यक्त करती रही है और असहमति को लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा बताया है।

हां, न्यायपालिका बराबर संविधान में प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार के इस्तेमाल पर संयम बरतने और लक्ष्मण रेखा नहीं लांघने की सलाह देती रही लेकिन यहां तो स्वतंत्र प्रेस रक्षक की भूमिका निभाने वाले ही बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार में कटौती का सुझाव दे रहे हैं।

दरअसल, लंबे समय तक सोशल मीडिया पर इस्तेमाल होने वाली अमर्यादित और असंयमित भाषा को नजरअंदाज किया जाता रहा, इसलिए सभी यह सोचने लगे की सोशल मीडिया पर स्वच्छंद होकर अमर्यादित और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करो।

परंतु, न्यायालय ने जब सोशल मीडिया पर होने वाली टीका-टिप्पणियों के लिये पूर्व न्यायाधीशों, विधिवेत्ताओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों और सामाजिक सरोकार की दुहाई देने वालों को आड़े हाथ लेना शुरू किया तो ऐसा लगा कि अब सोशल मीडिया पर भी बोलने की आजादी के दुरुपयोग को रोकने के प्रयास शुरू होंगे।

अक्सर देखा जा सकता है कि चुनाव सभाओं और टेलीविजन पर होने वाली परिचर्चाओं के साथ सोशल मीडिया पर भी इसका दुरुपयोग होता है। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि इससे पहले कि संविधान में प्रदत्त हमारे बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार पर कोई डाका डालने का प्रयास करे, हमें खुद ही इस ओर गंभीरता से प्रयास करने शुरू कर देने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी हालत में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाये तो दूसरों के लिए अपमानजनक या अमर्यादित हो।

अनूप भटनागर
(ये लेखक के अपने विचार है)

अमृत वाणी

जो अंतर को देखता है, बाह्य को नहीं, वही सच्चा कलाकार है।

-महात्मा गाँधी

कब थमेगें ऐसे हृदय विदारक हादसे

इन दिनों देश एक ओर कोरोना महामारी की विभीषिका से जूझ रहा है दूसरी ओर अस्पतालों में हो रही एक के बाद एक भयावह आगजनी की घटनाएं दिल दहला रही है। कभी शासकीय अस्पताल तो कभी निजी अस्पताल कभी एक राज्य तो कभी दूसरा राज्य यानि कही भी इन हादसों को रोक पाने की समुचित व्यवस्था नही है। हादसों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक माह के अंदर आधा दर्जन से अधिक ऐसी घटनाएं हो चुकी है।

आश्चर्य की बात यह कि हर जगह ये घटनाएं अस्पताल के आइ सी.यू वार्ड को ही अपनी चपेट में ले रही है जहां गंभीर हालात में ऐसे मरीज होते हैं जो किसी आपात स्थिति में भाग दौड़ कर स्वयं को बचा पाने की स्थिति में नही होते। केवल यही नही, यह भी देखा गया है कि अधिकतर आगजनी की घटनाएं देर रात को अथवा अल सुबह होती है जब अस्पताल में गिने चुने स्टाफ होते है जिससे आग लगने पर बहुत कम संख्यक मरीजों को ही बचाया जाना संभव हो पाता है और परिणाम स्वरुप कही नवजात शिशु तो कही कोरोना मरीज इन हादसों की बलि चढ़ते जा रहे हैं।

सर्वाधिक दुख की बात यह है कि एक के बाद एक अस्पताल में ऐसी दुर्भाग्यजनक घटनाएं हो रही है और सभी जगह जांच व मुआवजे की घोषणा की औपचारिकता निभाने के बाद मामले को भुला दिया जाता है। कही भी ऐसी पहल के बारे में कोई सोचना नही चाहता जिससे ऐसी घटनाओं को घटित होने से रोकने की कोई कोशिश हो सके। तात्पर्य यही कि मजबूरी में लोगों को अपने आत्मीय परिजनों को अस्ताल के भरोसे छोड़ना तो पड़ता ही है मगर जब तक वे स्वस्थ होकर सुरक्षित लौटे नहीं, तब तक कुछ कहा नही जा सकता।

जो भी हो, एक सुखद खबर यह है कि एकाधिक हादसे झेलने के बाद कम से कम महाराष्ट्र सरकार ने इस दिशा में जरा सा ध्यान दिया है। सरकार ने नगर निगम इलाके में स्थित सभी अस्पतालों में अग्नि और इलेक्ट्रिक ऑडिट कराने का आदेश दिया है। इस सिलसिले में विशेषज्ञों की राय लेने के अलावा ऑडिट के लिए निगरानी दलों का भी गठन किया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि जांच समिति की सिफारिशों को तत्काल लागू किया जायगा।

अच्छा होता अगर समय रहते कोई इन बातों पर ध्यान देता। सभी जगह वर्षो पुरानी विद्युत व्यवस्था चल रही है। जब तक हादसा नही तब तक परवाह नहीं। बहरहाल सरकार के ये आदेश सुखद तो अवश्य है और संभव है कि इनके व्दारा हादसों पर कुछ हद तक अंकुश भी लगे मगर देखना यह होगा कि जमीनी स्तर पर इनका क्रियान्वयन कितनी इमानदारी से किया जाता है क्योंकि राज्य के उप मुख्यमंत्री स्वयं कह चुके है कि अस्पतालों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाने के बावजूद राज्य के अस्पतालों में हो रही ऐसी घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तात्पर्य यही कि सुरक्षा के मामले में लापरवाही बरतकर दुर्घटनाओं को आमंत्रित किया जा रहा है। अस्पतालों के प्रबंधक संभवतः भूल जाते है कि उनकी ऐसी उदासीनता का तात्पर्य लोगों की जान से खेलना है जिसकी अनुमति उन्हें नहीं दी जा सकती है।

अतः अब यह राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वे अपने यहां अस्पतालों और मरीजों की जान को कितना सुरक्षित कर पाते हैं।

राज-काज

जलवायु की फिक्र

ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के कहर से जूझ रही है जलवायु परिवर्तन पर दुनिया के बड़े चालीस देशों का सम्मेलन आयोजित होना विषय की गंभीरता को ही दर्शाता है। अमेरिका की पहल पर हाल ही में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन जापान व भारत समेत बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों ने भाग लिया। दरअसल, अब तक पूरी दुनिया में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाले मुल्क बड़ी-बड़ी बातें तो करते थे, लेकिन अमल के मुद्दे पर किनारा कर जाते थे। लेकिन इस मुश्किल वक्त में आयोजित सम्मेलन को देखकर लगा कि वे लगातार गहराते जलवायु परिवर्तन संकट को वाकई दूर करने को तैयार नजर आते हैं। हाल के दिनों में अमेरिका व अन्य देशों के मौसम के व्यवहार में जो अप्रत्याशित परिवर्तन देखा गया, उसे मानवता के लिये खतरे की घंटी के रूप में देखा जा रहा है। वहीं जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर मुद्दे पर अमेरिका का लौटना जो बाइडेन सरकार की प्रतिबद्धता को ही दर्शाता है। अन्यथा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु परिवर्तन पहल से अमेरिकी को अलग कर लिया था।